10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा पर सरयू राय की टिप्पणी

भारत सरकार अपने 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा कर रही है । इस पृष्ठभूमि में राज्यों की पंचवर्षीय योजनायें भी समीक्षा की दौर से गुजर रही है । झारखंड सरकार ने इस अवसर पर राज्य की पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा के लिए जो दस्तावेज तैयार किया है, वह प्रसंशनीय है । वस्तुतः मध्यवर्ती समीक्षा दस्तावेज झारखंड सरकार द्वारा तीन वर्ष पहले तैयार किये गये राज्य के मूल पंचवर्षीय योजना दस्तावेज से अधिक स्पष्ट और सारगर्भित है । वर्तमान परिदृश्य में सरकार के अधिकारियों द्वारा इससे बेहतर समीक्षा प्रतिवेदन की अपेक्षा नही की जा सकती ।

इसका एक प्रमुख कारण तो यह है कि योजना आयोग और राज्य सरकार द्वारा राज्य का विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए चिन्हित की गई जमशेदपुर की एक्स.एल.आर.आई. नामक संस्था ने दिसम्बर 2001 में जो प्रतिवेदन राज्य सरकार योजना आयोग को सौंपा, वह प्रतिवेदन अत्यंत सामान्य श्रेणी का था और उसकी उत्कृष्टता 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सहायक अथवा आधार दस्तावेज के अनुरूप नहीं थी । राज्य की योजना तैयार करने में इसका कोई योगदान संभव नहीं था । इतना ही नहीं वर्ष 2002-07 तक के लिए राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय सरकार द्वारा भी अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई और भारत के योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में इसके पहले जो "एप्रोच पेपर" राज्यों को टिप्पणी और सुझाव के लिए भेजा था, उसके आलोक में सक्षम एवं दक्ष विशेषज्ञों की सलाह राज्य की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया । ऐसा हुआ होता तो निश्चित रूप से मध्यवर्ती समीक्षा की दौर गुजर रहा राज्य का वर्तमान पंचवर्षीय योजना दस्तावेज वास्तविकता के अधिक नजदीक और उत्तम श्रेणी का तैयार हुआ होता ।

दूरगामी अथवा तात्कालिक योजनाओं के बारे में आम तौर पर राज्य सरकारों का नजरिया चलताऊ होता है । देश और दुनियां के आर्थिक मानचित्र पर तेज गति से जो परिवर्तन हो रहे है उनसे तालमेल बिठा कर योजनाओं का सूत्रीकरण करना राज्य और देश की अफरशाही के बूते से बाहर की बात होती जा रही है । इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के दक्ष एवं निपुण विशेषज्ञों के बहुआयामी समूह की आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । 1950 में आजादी के तुरंत बाद राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग के गठन के पीछे भी यही सोच थी । योजनात्मक विकास के तीन दशक तक राज्य सरकारें भी इस सोच की हिमायती थी । भारत के योजना आयोग की तर्ज पर राज्यों में भी अपनी विकास योजनाओं के सूत्रीकरण और पर्यवेक्षण के लिए राज्य योजना पर्षद् का गठन किया गया । परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद बिहार जैसे राज्यों ने योजना पर्षद को ऐसे अधिकारियों के लिए "काला-पानी" के रूप में तब्दील कर दिया जो अधिकारी राज्य के हुक्मरानों के समक्ष हर घड़ी दंडवत की मुद्रा में रहने के लिए सहमत नहीं होते थे । नतीजा हुआ कि धीरे-धीरे राज्य योजना पर्षद् की अहमियत समाप्त होते गई और योजना बनाने से लेकर उसे कार्यान्वित करने और कार्यान्वयन की देख-रेख करने का पूरा दायित्व राज्य सरकार के योजना विभाग पर आ गया । इस तरह राज्य का योजना पर्षद् की समस्त उपयोगिता का भार विकास आयुक्त और योजना सचिव के कंधों पर आ गया ।

यह समझने के लिए विशेषज्ञता हासिल करने की जरुरत नहीं है कि जो समूह योजनाओं का कार्यान्वयन करता है उसी समूह पर योजनाओं का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी डालना व्यवहारिक सोच का परिचायक नहीं है । वास्तव में देश या राज्य की योजना किसी दल या सरकार के लिए नही होती है बल्कि यह आम जनता के हित के लिए होती है । सत्ताधारी दल अथवा उसकी सरकार देश हित, राज्य हित और जनहित व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण के अधीन तैयार होने वाली योजना के अन्तर्गत अपनी सोच और नीति-सिद्धांत के अनुरूप प्राथमिकताओं और विकास के लक्ष्यों का चयन कर सकते है । राज्य की योजना के लिए मार्गदर्शन तो वस्तुतः भारत के संविधान के "नीति निदेशक तत्वों" के अन्तर्गत समाहित अनुच्छेद 39, 39क और कुछ हद तक अनुच्छेद 40 में वर्णित है । देश और राज्य के लिए योजनायें तैयार करने और वार्षिक अथवा पंचवर्षीय अथवा दीर्घलक्षी योजनाओं में आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करने के संदर्भ में संविधान

जारी पृष्ठ.....2

Scanned with OKEN Scanner

के इन अनुच्छेदों की अनदेखी नही की जा सकती । सच कहा जाए तो देश के विकास के लिए आधारभूत नीति का यह दायरा देश अथवा राज्यों की सरकारों के लिए विकास की दिशा की लक्ष्मण रेखा है ।

इस कसौटी पर झारखंड सरकार का 10वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज खरा नही साबित हो रहा है । हालांकि इसकी कमियों की भरपाई करने का एक हद तक प्रयास राज्य सरकार ने मध्यवर्ती समीक्षा प्रतिवेदन में करने का प्रयास किया है । फिर भी यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार करें और इसकी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को वास्तविकता के धरातल पर परिभाषित करे । इस संदर्भ में खोये जा चुके स्वर्णिम चार वर्षो के समय को तो पुन: वापस नही लाया जा सकता है, मगर आगे भी हालात बेकाबू नहीं हो इसके लिए आवश्यक सावधानी तो बरती ही जा सकती है । पीछे मुड़ कर देखने पर लगता है कि झारखंड सरकार को 10वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए आधार वर्ष के रूप में 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि उपलब्ध हुई थी । यह अवधि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण की अवधि थी, जिसे झारखंड राज्य बनने के पहले बिहार की सरकार ने तैयार किया था । न केवल 9वीं पंचवर्षीय योजना बल्कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी बिहार सरकार की प्रगति घोर असंतोषजनक थी । इस दशक के कतिपय वर्षो में तो वार्षिक योजनायें फिसड्डी साबित हुई थी और विकास की दर में ऋणात्मक दिशा अख्तियार कर लिया था । इस दौरान पूरे राज्य की योजना पर मुश्किल से सालाना 800 करोड़ से 1800 करोड़ के बीच व्यय होता था । इसमें झारखंड क्षेत्र का हिस्सा अधिक से अधिक एक तिहाई ही होता था।

झारखंड बनने के साथ योजना और विकास की यह समस्या नवसृजित राज्य को विरासत के रूप में प्राप्त हुई । अप्रैल 2002 से 10वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ होने के पहले झारखंड सरकार के हाथ में साढ़े सोलह महीनों का समय था, जब वह विरासत की इस बेड़ी से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक योजनात्मक पहल कर सकती थी और राज्य के लिए विकास दर की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और इसे हासिल करने के पुरजोर उपाय कर सकती थी । साढ़े सोलह महीनों के इस समय का उपयोग राज्य सरकार एक ऐसे आधार अवधि के रूप में कर सकती थी, जहाँ से संसाधन सम्पन्न और विकास की असीम क्षमतायुक्त यह नवसृजित राज्य एक लम्बी छलांग लगाकर राष्ट्रीय विकास के मानचित्र पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता था। शायद तब योजना आयोग के अध्यक्ष मांटेक सिंह अहलूवालिया को मध्यवर्ती समीक्षा के दौरान यह टिप्पणी करने के लिए अवसर नही मिलता कि "झारखंड सरकार विकास की अपनी गति तेज करे" । वास्तव में झारखंड राज्य की विकास दर हर कसौटी पर राष्ट्रीय विकास के औसत दर से अधिक होना चाहिए ।

केन्द्र सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8 प्रतिशत का महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य तय किया था और झारखंड सरकार के लिए 6.9 प्रतिशत दर का लक्ष्य रखा था । राज्य सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक राज्य सृजन के पहले वर्ष में झारखंड की विकास दर 5.5 प्रतिशत के करीब आंकी गई थी । विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार ने अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में 14632.75 करोड़ रु. का प्रावधान किया है । परन्तु दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं है कि इसका आधार क्या है, योजना के आधार वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पादन कितना है और विकास के राष्ट्रीय औसत को छूने अथवा देश के सर्वाधिक विकास दर वाले राज्य के समीप पहुँचने के लिए इस अवधि में विकास के वैकल्पिक दर क्या हो सकते हैं और इसमें से किसी एक विकल्प को अपनाने का तर्क संगत आधार क्या हो सकता है । साथ ही विकास के लिए आवश्यक निवेश के विभिन्न स्रोतों से निवेश संभावनाओं का आंकलन भी इसमें उपलब्ध नही है । मध्यवर्ती समीक्षा दस्तावेज में राज्य सरकार ने एक हद तक इन कमियों को पूरा करने का प्रयास किया है । इस दिशा में सार्थक प्रयास की और अधिक जरुरत है । बात से कम अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है, यह शीघ्रातिशीघ्र स्पष्ट किया जाना निहायत जरुरी है । इसके लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया जाना ही एक मात्र विकल्प है ।

-सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner